न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 62/2022 (2022/60)

अपीलान्ट

हापूदेवी पत्नी मदनलाल पुत्री स्व0 रामचन्द्र, जाति दर्जी, निवासी बम्बोर दर्जीयान, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. गंगादेवी पत्नी स्व0 रामचन्द्र
2. सुखाराम पुत्र रामचन्द्र

जातियान दर्जी, निवासीगण गांव चावड़ो की ढाणी, नन्दवान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

3. चेनाराम पुत्र सोनाराम
4. नेमीचन्द पुत्र चेनाराम
5. बलदेव पुत्र चेनाराम
6. मैना पुत्री चेनाराम
7. सुनीता पुत्री चेनाराम

सभी जातियान दर्जी, निवासीगण बम्बोर दर्जीयान, तहसील व जिला जोधपुर।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 38 मौजा ग्राम चावड़ो की ढाणी दिनांक 21.05.1994 जो नायब तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर द्वारा स्वीकार किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री रवीन्द्र चौधरी व नवरतनदान चारण।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 7 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक :– 26.12.2022

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 98 ग्राम चावड़ो की ढाणी दिनांक 21.05.1994 जो नायब तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर द्वारा स्वीकार किया गया, के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि [illegible]ड़ो की ढाणी में कृषि भूमि खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:25:55 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 403 रकबा 80 बीघा 11 बिस्वा भूमि के खातेदार रामचन्द्र, मोहनलाल, पदमाराम, किशनलाल पिसरान् मांगीलाल थे। प्रत्येक का 1/4 हिस्सा था अर्थात् अपीलान्ट के पिता स्व0 रामचन्द्र का भी 1/4 हिस्सा था। अपीलान्ट के पिता रामचन्द्र के स्वर्गवास के पश्चात् उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान् में रेस्पोडेन्ट संख्या एक उनकी धर्मपत्नी, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 उसका पुत्र तथा दो पुत्रियाँ भैरीदेवी व अपीलार्थीया हापूदेवी है। भैरीदेवी का स्वर्गवास हो चुका है तथा स्व0 भैरीदेवी के प्रथम श्रेणी के वारिसान् रेस्पो0 संख्या 3 से 7 है। अपीलार्थी के पिता रामचन्द्र का स्वर्गवास सन् 1994 में हो गया। रामचन्द्र के देहान्त के समय अपीलान्ट व उसकी बहन उत्तराधिकारी भी मौजूद थे, परन्तु तत्कालीन नायब तहसीलदार लूणी तथा पटवारी हल्का ने मृतक खातेदार रामचन्द्र के वारिसान की कोई जांच नहीं की, अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई व सूचना का कोई नोटिस नहीं दिया तथा एकपक्षीय कार्यवाही कर नामान्तरकरण मृतक खातेदार के लड़के व धर्मपत्नी के नाम पारित कर दिया तथा अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने से रह गया जो नामान्तरकरण विधि विरूद्ध एवं विधि में शून्य होने से निरस्त योग्य है। आलौच्य नामान्तरकरण से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये जो विधिवत् तामिल होना पाया गया। प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड तहसीलदार लूणी से प्राप्त किया गया। रेस्पोडेन्ट नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। प्रकरण में अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस दिनांक 19.12.2022 को सुनी गई।

प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र बाबत् अनुमति करने अपील में बतलाया कि प्रार्थीया मृतक रामचन्द्र की प्रथम श्रेणी की वारिसान् है। प्रार्थीया के पिता रामचन्द्र के स्वर्गवास के पश्चात् उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान् में अप्रार्थी संख्या एक उनकी धर्मपत्नी, अप्रार्थी संख्या 02 उसका पुत्र तथा दो पुत्रियाँ भैरीदेवी व प्रार्थीया हापूदेवी थे। स्व0 भैरीदेवी के प्रथम श्रेणी के वारिसान् अप्रार्थी संख्या 3 से 7 है। प्रार्थीया के पिता रामचन्द्र का स्वर्गवास सन् 1994 में हो गया। रामचन्द्र के देहान्त के समय प्रार्थीया व उसकी बहन उत्तराधिकारी भी मौजूद थे परन्तु तत्कालीन नायब तहसीलदार लूणी तथा पटवारी हल्का ने मृतक खातेदार रामचन्द्र के वारिसान की कोई जांच नहीं की तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व प्रार्थीया को सुनवाई व सूचना का कोई नोटिस नहीं दिया तथा एकपक्षीय कार्यवाही कर नामान्तरकरण मृतक खातेदार के लड़के व धर्मपत्नी के नाम पारित कर दिया तथा प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने से रह

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:25:55 IST
Reason: SelfAttested

गया। इससे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है इस कारण प्रार्थीया इस नामान्तरणकरण के विरूद्ध अपील दायर करने का अधिकार रखती है। प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरणकरण के विरूद्ध अपील दायर करने की अनुमति देने की प्रार्थना की।

प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में बतलाया कि प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण से कहा कि रामचन्द्र जी से उत्तराधिकारी में प्राप्त भूमि का बंटवाड़ा करवा लेते है जिससे भविष्य में कोई विवाद नहीं हो तथा प्रार्थीया किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहती है। प्रार्थीया ने दिनांक 28.06.2022 को खसरा संख्या 403 की भूमि की जमाबन्दी की नकल मांगी तो पटवारी ने प्रार्थीया को बताया कि जमाबन्दी में आपका नाम नहीं है। इस पर प्रार्थीया ने दिनांक 28.06.2022 को नामान्तरणकरण की नकल प्राप्त की। प्रार्थीया को अपीलाधीन नामान्तरणकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28.06.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील में हुए विलम्ब को माफ करने की प्रार्थना की।

अपीलार्थीया के विद्वान अधिवक्ता ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि अपीलार्थी के पिता के फौत होने पर विरासत के अधिकार अपीलार्थी व रेस्पो0 संख्या 01 से 07 को प्राप्त हुए लेकिन तत्कालीन नायब तहसीलदार लूणी तथा पटवारी हल्का ने मृतक खातेदार रामचन्द्र के सभी विधिक वारिसान की कोई जांच नहीं की तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई व सूचना का कोई नोटिस नहीं दिया तथा एकपक्षीय कार्यवाही कर नामान्तरकरण मृतक खातेदार के लड़के व धर्मपत्नी के नाम पारित कर दिया, जो अपास्त योग्य होने से निरस्त किया जावें।

हमने अपीलार्थी अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। अपील का निस्तारण करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र बाबत् अनुमति करने अपील तथा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रथमदृष्ट्या यह निर्विवादित है कि अपीलार्थीया स्व0 रामचन्द्र की जायन्दा पुत्री है तथा विवादित भूमि में इसके हित प्रभावित होने से अपील अनुमति प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया को अपील पेश करने की अनुमति दी जाती है। प्रार्थीया के पास न्यायोचित कारण होने तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश नहीं करने के कारण प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि रामचन्द्र के फौत हो जाने पर सुखाराम (पुत्र) तथा गं[illegible] (पत्[illegible]) के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:25:55 IST
Reason: SelfAttested

38 दिनांक 21.05.1994 को नायब तहसीलदार, लूणी द्वारा स्वीकृत किया गया जबकि अपीलान्ट हापूदेवी जो मृतक रामचन्द्र की जायन्दा पुत्री है उसका नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया। अपीलान्ट हापूदेवी हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत मृतक रामचन्द्र पुत्र मांगीलाल की प्रथम श्रेणी की वारिसान् है तथा स्व0 रामचन्द्र की जायदाद में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी भी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण 38 गांव चावडो की ढाणी जो दिनांक 21.05.1994 को नायब तहसीलदार, लूणी द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार लूणी को निर्देश दिये जाते है कि मृतक रामचन्द्र के प्रथम श्रेणी के सभी विधिक वारिसानों की जांच कर पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही कर निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण निर्णय की प्रति के साथ पुनः भेजा जावे।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 26.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:25:55 IST
Reason: SelfAttested